रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 1993/अग्रहायण 4, 1915
No. 697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 1993/AGRAHAYANA 4, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1993

का.आ. 894(अ) — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 की स. 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नवम्बर, 1993 के 25वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 46, 47 एवं 48 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. यू-11013/3/92-यू.टी.एल.]
आर.आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1993

S.O. 894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the Central Government hereby appoints the 25th day of November, 1993 as the date on which the provisions of sections 46,47 and 48 of the said Act shall come into force.

[No. U. 11013/3/92-UTL]

R. R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993